

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ-35-84-2007-दो-सी-एक्स.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1285 दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्रमांक	स्थान	पता	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा
01	मेसर्स इण्डियन ऑईल कार्पोरेशन, रायरू, ग्वालियर (म0प्र0)	मेसर्स इण्डियन ऑईल कार्पोरेशन, रायरू, ग्वालियर (म0प्र0) (पेट्रोलियम पदार्थ संग्रहण एवं वितरण केन्द्र)	पूर्व — उत्तर-मध्य रेल्वे की दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग तथा ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि । पश्चिम — ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि । उत्तर — ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि तथा दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग । दक्षिण — ग्राम बरौआ नूराबाद की कृषि भूमि तथा भारत पेट्रोलियम डिपो ।

Bhopal, the 20th December 2019

No. F-35-84-2007-C-X.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Sections 2 of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's notification No. S. O. 1285 dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act:—

SCHEDULE

S.No.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACE
01	Indian Oil Corporation, Rairu, Gwalior (M.P.)	Indian Oil Corporation, Rairu, Gwalior (M.P.) (Storage and Distribution of Petroleum Product)	<p>East- Delhi-Mumbai Rail track and agriculture land of vill. Baroa Nurabad.</p> <p>West- Agriculture land of Vil. Baroa Nurabad.</p> <p>North- Agriculture land of Vil. Baroa Nurabad and Delhi-Mumbai Rail track.</p> <p>South- Agriculture land of Vil. Baroa Nurabad and Bharat Petroleum Depot.</p>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद शाहिद अबसार, सचिव.